



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062021-227787
CG-DL-E-22062021-227787

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2266]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2021/आषाढ़ 1, 1943

No. 2266]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2021/ ASHADHA 1, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

का.आ. 2444(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में लुधियाना से रूपनगर खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205K के किमी. 66.700 किमी. से 91.000 किमी. तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पंजाब राज्य में रूपनगर जिले में लुधियाना से रूपनगर खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH205K के किमी. 66.700 किमी. से 91.000 किमी. तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला राजस्व अधिकारी रूपनगर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH205K के कि.मी. 0 से 15 तक	पंजाब	रूपनगर	मोरिंडा	1 फतेहगढ़ (ह० ब० संख्या 236)

[फा. सं. NHAI/PIU/CHD/11091/LA]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2021

S.O. 2444(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 66.700 to Km. 91.000 of the NH- 205-K Ludhiana to Rupnagar Section for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of PUNJAB.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 205-K from Km. 66.700 to Km. 91.000 Ludhiana to Rupnagar Section in District Rupnagar in the State of PUNJAB.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Revenue Officer Roopnagar	0KM To 15KM	PUNJAB	RUPNAGAR	Morinda	1 Fatehgarh (H.B. No. 236)

[F. No. NHAI/PIU/CHD/11091/LA]

RAJESH GUPTA, Director